प्रेस नोट दिनाँक- 05.12.2023

(1). आज दिनाँक 05.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 05.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा धारा 138 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त विनोद गिरी पुत्र भरतलाल निवासी भरतपुरी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया

श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार, पैरोकार आरक्षी सतीष कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पियूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्याय अधिकारी ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 26/2022 धारा 279,337,338 भादवि के आरोपी अभियुक्त शिवनाथ कुशवाहा पुत्र शारदा प्रसाद कुशवाहा निवासी डौलनी थाना महैर जिला सतना म0प्र0 को 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 24.05.2022 को वादी सर्वेश गौतम पुत्र रामललन निवासी इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन संख्या एमपी 19 जीए 5836 का चालक नाम पता अज्ञात द्वारा गाड़ी चलाते हुये वादी के घर के सामने रोड पर खड़ी वादी की पुत्री कुमार अराध्या उम्र लगभग 06 वर्ष को जोरदार टक्कर मार कर भाग जाना, जिससे कुमार अराध्या को गम्भीर चोट आना व एक पैर टूट जाने के सम्बन्ध में गयी। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 26/2022 धारा 279,337,338 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मानसिंह यादव द्वारा की गयी एवं दिनाँक 13.10.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रषित किया गया था।

(5). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार तथा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2007 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त गुड्डा कोल उर्फ राजमन उर्फ राजकुमार उर्फ झल्ला पुत्र गोविन्द प्रसाद निवासी सकरौंहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 15.09.2007 को तत्कालीन थानाध्यक्ष रैपुरा श्री रामनरेश राठौर द्वारा थाना रैपुरा में अभियुक्त गुड्डा कोल उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 173/2007 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री जयशंकर पाण्डेय द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 02.10.2008 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

(6). आज दिनांक 05.12.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में नोडल अधिकारी SPC क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना भरतकूप के एसपीसी पुलिस अधिकारी उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व महिला आरक्षी मनीषा यादव द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज घूरेटनपुर थाना भरतकूप में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट्स के छात्राओं को सामाजिक मूल्य एवं आचार-विचार, सामाजिक मूल्य क्या है, आचार विचार क्या है, सामाजिक मूल्य एवं आचार विचार का महत्व क्या है, धैर्य क्या है, धैर्य के लाभ क्या-क्या हैं के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से पढ़ाया गया।

इस दौरान में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट की छात्राओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित /जागरूक किया गया। शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-

चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए।

स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ''चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो'' जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुये बताया गया कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदक भईयालाल पुत्र गया प्रसाद निवासी आमवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने सूचना दिया कि बीरू उर्फ बीरबल पुत्र चौसठ निवासी सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा अपनी पत्नी रानी देवी को शराब पीकर मारपीट करना तथा गाली गलौज करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी राजापुर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त महिला आरक्षी सुरूची चौधरी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा व मारपीट न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।